आर.सी.टी. 2989/2022 अर्जुन चौधरी

लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक 6

13.05.2023

राज्य द्वारा एडि.डी.पी.ओ.।

अभियुक्तगण सहित श्री राजेन्द्र पटेल अधिवक्ता।

प्रकरण परस्पर समझौते द्वारा निराकरण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत, 2023 दिनांक 13.05.2023 में सुनवाई हेतु लिया गया।

आवेदकगण/आहतगण पृथ्वीराज सिंह, प्रयागराज सिंह एवं परिधि सिंह तंवर स्वयं उपस्थित।

आवेदकगण/आहतगण पृथ्वीराज सिंह, प्रयागराज सिंह एवं परिधि सिंह तंवर ने अभियुक्तगण पर लगे आरोपों से संबंधित दण्डनीय अपराध के शमन की अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(2) द.प्र.सं. प्रस्तुत किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 506 भाग–दो व 451 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोजन विचाराधीन है जो शमनीय हैं एवं उसके शमन हेतु न्यायालय की अनुज्ञा अनिवार्य है। आवेदकगण अभियोजित अपराध का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार हैं। उनकी पहचान श्री राजेन्द्र पटेल, अधिवक्ता ने की है। अभिलेख पर उपलब्ध आधार कार्ड की छायाप्रति से भी आवेदकगण के पहचान की पुष्टि होती है।

आवेदकगण को सुना गया। आवेदकगण तथा अभियुक्तगण दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा हो गया है। आवेदक द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। उन्होंने आवेदन पत्र में अभियुक्तगण के प्रति कटुता समाप्त होना और उसके साथ मधुर संबंध स्थापित होना व्यक्त करते हुए बताया है कि उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है।

इन तथ्यों पर आवेदकगण को उक्त अपराध के शमन करने की अनुज्ञा द.प्र.सं. की धारा 320(2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई।

उभयपक्ष की ओर से आवेदकगण के छायाचित्र युक्त तथा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित शमन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 506 भाग–दो एवं 451 के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण अर्जुन पिता कैलाश नारायण चौधरी एवं नीरज पिता अर्जुन चौधरी को भा.द.

सं. की धारा 294, 323/34, 506 भाग–दो एवं 451 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा बांस का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरांत तोड़कर नष्ट किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्ति का व्ययन किया जाए।

संपत्ति पत्रक उचित टीप के साथ निर्णयानुसार कार्यवाही हेतु सात दिवस के भीतर मालखाना नाजिर को प्रेषित किया जाए एवं इसकी पावती अभिस्वीकृति आदेश पत्रिका के दाहिने हाशिये में ली जाए।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी एवं सी.आई.एस. में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार में प्रेषित किया जाए।

YASHPAL SINGH

Digitally signed by YASHPAL SINGH
Date: 2023.05.13 18:47:40 +0530

श्री जितेन्द्र जोशी
सदस्य

(यशपाल सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास (म.प्र.)